२६

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 171/2019

दायर दिनांक–20.09.2019

1 झुमा देवी पत्नि डेडाराम
2 नानची देवी पत्नि महावीर प्रसाद समस्त जाति माली निवासी चिराना तहसील नवलगढ जिला झुझुनूं।

– वादी

बनाम

1. ग्यारसी लाल पुत्र द्वारका प्रसाद
2. नत्थूराम पुत्र द्वारका प्रसाद
3. नेमीचंद पुत्र द्वारका प्रसाद
4. मनी देवी पत्नि द्वारका प्रसाद समस्त जाति चेजारा निवासी चिराना तहसील नवलगढ।
5. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री शिव कुमार बंका**
वकील प्रतिवादी :– **श्री सुभाष आर्य**

दावा बाबत विभाजन

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 10.02.2025

वाद वादी दिनांक 06.05.2024 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः भू0 अ0/2021/5709 दिनांक 11.12.2024 द्वारा प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव वकील उभय पक्ष सुनी गई। उभय पक्ष की ओर से मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार निर्णय किये जाने पर सहमति व्यक्त की। फलस्वरूप मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम रामपुरा की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 805, 879, 881, 882 रकबा क्रमशः 0.8400, 1.0100, 1.5000, 0.0500 है0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैः–

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	झुमा देवी पत्नी डेडाराम हिस्सा 1/2 जाति माली, नानची देवी पत्नी महावीर प्रसाद हिस्सा 1/2 जाति माली साकिन देह खातेदार राहिन–नानची देवी पत्नी महावीर प्रसाद हिस्सा पूर्ण एस0बी0बी0जे0 शाखा चिराना	881 882 [illegible]	1.50 0.05 [illegible]	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3
2	ग्यारसी लाल पुत्र द्वारका प्रसाद हिस्सा 124 जाति चेजारा राहिन बी0आर0के0जी0बी0 शाखा चिराना [illegible] पुत्र द्वारका प्रसाद हिस्सा 1/4 जाति चेजारा [illegible]चंद पुत्र द्वारका प्रसाद हिस्सा 1/4 जाति चेजारा, [illegible] देवी पत्नी द्वारका प्रसाद हिस्सा 1/4 जाति चेज[illegible] साकिन देह खातेदार।	80[illegible] 879/2	[illegible]4 [illegible]6	बारानी 3 बारानी 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:21:10 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नही है तो पक्षकारान्

स.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

37

लीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:21:10 IST
Reason: SelfAttested

38

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

पीठासीन अधिकारी :– सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 171/2019

दावा : विभाजन

(झुमा देवी बनाम ग्यारसी लाल आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 10.02.2025 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम रामपुरा की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 805, 879, 881, 882 रकबा क्रमशः 0.8400, 1.0100, 1.5000, 0.0500 है0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	झुमा देवी पत्नी डेडाराम हिस्सा 1/2 जाति माली, नानची देवी पत्नी महावीर प्रसाद हिस्सा 1/2 जाति माली साकिन देह खातेदार राहिन–नानची देवी पत्नी महावीर प्रसाद हिस्सा पूर्ण एस0बी0बी0जे0 शाखा चिराना	881 882 879/1	1.50 0.05 0.15	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3
2	ग्यारसी लाल पुत्र द्वारका प्रसाद हिस्सा 124 जाति चेजारा राहिन बी0आर0के0जी0बी0 शाखा चिराना, नत्थूराम पुत्र द्वारका प्रसाद हिस्सा 1/4 जाति चेजारा, नेमीचंद पुत्र द्वारका प्रसाद हिस्सा 1/4 जाति चेजारा, मन्नी देवी पत्नी द्वारका प्रसाद हिस्सा 1/4 जाति चेजारा साकिन देह खातेदार।	805 879/2	0.84 0.86	बारानी 3 बारानी 3

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.02.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:21:10 IST
Reason: SelfAttested